

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7)/वित्त(नियम)/2008 दिनांक 12-09-2008 एवं आदेश संख्या एफ.11(7)/वित्त (नियम) पार्ट-1/2008 दिनांक 06-10-2008 के अनुसरण में राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित अधिकारियों (व्याख्याता) को राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के नियम-19 के तहत उनके नाम के आगे अंकित विवरण अनुसार एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति), कालम संख्या 8 के अनुसार ग्रेड वेतन, कालम संख्या 9 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	नाम मय विषय व पदस्थापन स्थान सर्वश्री/सुश्री / श्रीमति (रा.उ.मा.वि.)	जन्मतिथि	व्याख्याता पद पर चयन का प्रकार	प्रथम नियुक्ति तिथि	स्वीकृत एसीपी I, II, III	वेतन बेण्ड	स्वीकृत ग्रेड वेतन	स्वीकृत तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ओम प्रकाश जाखड़ व्या०इतिहास जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सीकर	01.05.63	डीपीसी	15.10.85 व०अ०	III	15600-39100	6000	15.10.2015
2	कांति लाल मेघवाल व्या० इतिहास खैरवाड़ा-उदयपुर	03.03.60	सीधी भर्ती	25.02.95 व्या०	II	15600-39100	6000	25.02.2015
3	ज्योति गुप्ता व्या०इतिहास बा०नारायणपुर-अलवर	05.10.72	सीधी भर्ती	09.10.03 व्या०	I	9300-34800	5400	09.10.2013
4	गोविन्द प्रसाद पंचाली व्या० इतिहास श्यामपुरा-भीलवाड़ा	06.08.57	डीपीसी	01.07.85 व०अ०	III	9300-34800	6000	01.07.2015
5	मोहम्मद सलीम खान व्या० इतिहास अलसीसर-झुंझुनू	25.11.65	डीपीसी	02.07.96 वअ	II	9300-34800	5400	02.07.2016
6	राखी फोफलिया व्या० वाणिज्य बालिका महामंदिर-जोधपुर	21.06.60	डीपीसी	01.07.86 वअ	III	9300-34800	6000	01.07.2016

पुनरीक्षित वेतनमान नियम-2008 के तहत इनका वेतन सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति का इन्द्राज सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से अंकित किया जावे।



(नथमल डिडेल)

आईएएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा


राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/एसीपी/इति-वाणि./16-17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है:-

- 01 संबंधित उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
- 02 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II)
- 03 सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु
- 04 संबंधित प्रधानाचार्य,राउमावि.
- 05 संबंधित व्याख्याता
- 06 रक्षित पत्रावली

दिनांक-09/06/2017


संयुक्त निदेशक कार्मिक